

# असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

# प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 239] No. 239] नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2017/ज्येष्ठ 24, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2017/ JYAISTHA 24, 1939

# भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2017

सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./विनि.011.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 217, धारा 218, धारा 219 और धारा 220 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

# अध्याय 1

# प्रारंभिक

# 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 है।
  - (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - (3) ये विनियम सेवा प्रदाताओं के निरीक्षण और अन्वेषण को लागू होंगे।

# 2. परिभाषाएं

- (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
- (क) "सहयुक्त व्यक्ति" से किसी सेवा प्रदाता का स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, अधिकारी या कोई कर्मचारी, किसी सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कोई वृत्तिक या मूल्यांकक अथवा निरीक्षण या अन्वेषणाधीन किसी सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;
  - (ख) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(2016 का 31) अभिप्रेत है;

3742 GI/2017 (1)

(ग) "अनुशासनात्मक समिति" से बोर्ड द्वारा संहिता की धारा 220(1) के अधीन गठित पूर्णकालिक सदस्य(सदस्यों) की एक समिति अभिप्रेत है;

परन्तु अनुशासनात्मक समिति में ऐसे पूर्णकालिक सदस्य सहयुक्त नहीं होंगे जो निरीक्षण और अन्वेषण से सहबद्ध हैं।

- (घ) "इलैक्ट्रानिक रूप" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(2000 का 21) की धारा 2(r) में है;
- (ङ) "अन्वेषक प्राधिकारी" से बोर्ड का ऐसा अधिकारी या अधिकारियों का ऐसा दल अभिप्रेत है जिसे किसी सेवा प्रदाता के अन्वेषण का संचालन करने के लिए अन्वेषक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का निदेश दिया गया है;
- (च) "निरीक्षण प्राधिकारी" से बोर्ड का ऐसा अधिकारी या अधिकारियों का ऐसा दल अभिप्रेत है जिसे किसी सेवा प्रदाता के निरीक्षण का संचालन करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का निदेश दिया गया है;
- (छ) "सूचना प्राप्तकर्ता" से ऐसा सेवा प्रदाता या कोई सहयुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है:
- (ज) "अभिलेख" से किसी सेवा प्रदाता और उसके सहयुक्त व्यक्ति की लेखा-बहियां, रजिस्टर, दस्तावेज़, मंगाए गए अभिलेख और अन्य अभिलेख, चाहे वे इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा रखे गए हैं, अभिप्रेत हैं;
  - (झ) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;
- (ञ) "सेवा प्रदाता" से दिवाला वृत्तिक अभिकरण, दिवाला वृत्तिक, दिवाला वृत्तिक इकाई या सूचना उपयोगिता अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संहिता में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो संहिता में उनके हैं।

#### भाग 2

# निरीक्षण

# 3. बोर्ड द्वारा निरीक्षण

- (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष उतनी संख्या में, जितनी बोर्ड समय-समय पर विनिश्चित करे, सेवा प्रदाताओं के निरीक्षण का संचालन करेगा ।
- (2) बोर्ड, उपनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 218 के अधीन सेवा प्रदाता के निरीक्षण का संचालन करेगा ।
- (3) बोर्ड, इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, आदेश द्वारा, किसी निरीक्षण प्राधिकारी को किसी सेवा प्रदाता के अभिलेखों का किसी प्रयोजन के लिए, जिसमें उप-विनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन भी हैं, निरीक्षण का संचालन करने के निदेश दे सकेगा।
  - (4) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों में निम्नलिखित हैं -
    - (क) यह सुनिश्चित करना कि सेवा प्रदाता द्वारा सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित रीति में अभिलेख रखे जा रहे हैं ;
    - (ख) यह अभिनिश्चित करना कि क्या पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां, प्रक्रियाएं और सुरक्षोपाय स्थापित किए गए हैं और सेवा प्रदाता द्वारा सुसंगत विनियमों के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उनका पालन किया जा रहा है;
    - (ग) यह अभिनिश्चित करना कि क्या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो किसी सेवा प्रदाता को अनुपयुक्त या अपात्र बनाएंगी;

- (घ) यह अभिनिश्चित करना कि क्या संहिता, नियम, विनियम और दिशा-निर्देशों के उपबंधों और उसके अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है;
- (ङ) ग्राहकों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे किसी विषय पर, जिसका संबंध किसी सेवा प्रदाता के कार्यकलापों से हैं, प्राप्त शिकायतों की जांच करना; और
- (च) ऐसा कोई अन्य प्रयोजन, जो बोर्ड द्वारा संहिता के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए उपयुक्त समझा जाए ।
- (5) उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट आदेश में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे -
  - (क) निरीक्षण की परिधि;
  - (ख) निरीक्षण प्राधिकारी की संरचना;
  - (ग) निरीक्षण का संचालन करने के लिए समय-सीमा;
  - (घ) निरीक्षण में प्रगति की रिपोर्ट देना;
  - (ङ) अंतरिम निरीक्षण रिपोर्ट, यदि कोई है, प्रस्तुत करना; और
  - (च) निरीक्षण रिपोर्ट देना।
- (6) बोर्ड और निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण को गोपनीय रखने और निरीक्षणाधीन सेवा प्रदाता के कारबार पर कम से कम भार या विध्न कारित करने का प्रत्येक प्रयास करेगा।

# 4. निरीक्षण का संचालन

(1) निरीक्षण प्राधिकारी, सेवा प्रदाता को निरीक्षण के प्रारंभ से कम से कम दस दिन पूर्व एक सूचना की तामील करेगा:

परन्तु जहां निरीक्षण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सूचना से निरीक्षण में असम्यक् विलंब होगा या इस बात की आशंका है कि सूचना की तामील हो जाने के पश्चात् सेवा प्रदाता के अभिलेखों को नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत या गुप्त किया जा सकता है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी सूचना को अभिमुक्त कर सकेगा।

- (2) निरीक्षण प्राधिकारी, निरीक्षण के प्रारंभ से पूर्व, सेवा प्रदाता या किसी सहयुक्त व्यक्ति से अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
  - (3) निरीक्षण प्रधिकारी, स्थल पर निरीक्षण का संचालन करने के लिए सेवा प्रदाता के कार्यालयों में जा सकेगा।
- (4) ऐसे सेवा प्रदाता और प्रत्येक सहयुक्त व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उतने समय के भीतर, जो निरीक्षण प्राधिकारी अपेक्षा करे, अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण वाले ऐसे अभिलेख निरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करे और निरीक्षण प्रधिकारी को अपने क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे कथन और जानकारी पेश करे।
- (5) सेवा प्रदाता, निरीक्षण प्रधिकारी को ऐसे, सेवा प्रदाता द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभुक्त, परिसर में पहुंच अनुज्ञात करेगा और सेवा प्रदाता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे वाले किसी अभिलेख की परीक्षा करने के लिए सुविधा भी प्रदान करेगा; और ऐसे अभिलेख या अन्य सामग्री की प्रतियां उपलब्ध करेगा, जो निरीक्षण प्राधिकारी की राय में निरीक्षण के लिए सुसंगत हैं।
- (6) निरीक्षण प्राधिकारी, निरीक्षण के अनुक्रम में, सेवा प्रदाता के किसी सहयुक्त व्यक्ति के, व्यवसाय के सम्बन्ध में, लेखबद्ध कथन की परीक्षा करने का हकदार होगा।
- (7) सेवा प्रदाता के प्रत्येक सहयुक्त व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसी सभी सहायता दे जो निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण के संबंध में युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे।

# 5, अंतरिम निरीक्षण रिपोर्ट

- (1) निरीक्षण प्राधिकारी, यदि वह निरीक्षण की प्रकृति और प्रगति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझता है तो अंतरिम निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।
  - (2) निरीक्षण प्राधिकारी, यदि बोर्ड अपेक्षा करें, तो अंतरिम निरीक्षण रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।
- (3) यदि बोर्ड का अंतरिम निरीक्षण रिपोर्ट से यह समाधान हो जाता है कि सेवा प्रदाता की ओर से संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का घोर उल्लंघन किया गया है और धारा 220 की उपधारा (2) के अधीन तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो बोर्ड मामले को समुचित कार्रवाई के लिए अनुशासन समिति को निर्देशित करेगा।
- (4) अनुशासन समिति, अंतरिम निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, सेवा प्रदाता को समुचित निदेश देते हुए अंतरिम आदेश पारित कर सकेगी।
- (5) उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट अंतरिम आदेश 90 दिन के अवसान पर व्यपगत हो जाएगा । 6. निरीक्षण रिपोर्ट
- (1) निरीक्षण प्राधिकारी, सेवा प्रदाता को प्रारूप निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा जिसमेंसेवा प्रदाता से प्रारूप निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर टिप्पणियां अपेक्षित की जाएंगी ।
  - (2) निरीक्षण प्राधिकारी प्रारूप निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को भेजेगा।
- (3) बोर्ड, निरीक्षण रिपोर्ट की इस संबंध में परीक्षा करेगा कि क्या निरीक्षण संपूर्ण और समाधानप्रद है या अतिरिक्त निरीक्षण अपेक्षित है और प्रारूप निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर निरीक्षण प्राधिकारी को तदनुसार सलाह देगा।
- (4) निरीक्षण प्राधिकारी, सेवा प्रदाता की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और बोर्ड की सलाह को ध्यान में रखते हुए, निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

# अध्याय 3

# अन्वेषण

# 7. बोर्ड द्वारा अन्वेषण

- (1) बोर्ड धारा 218 के अधीन किसी सेवा प्रदाता के अन्वेषण का संचालन कर सकेगा।
- (2) बोर्ड, इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, आदेश द्वारा, किसी अन्वेषक प्राधिकारी को किसी सेवा प्रदाता के कामकाज के अन्वेषण का संचालन करने और उसके संबंध में बोर्ड को रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा।
  - (3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट आदेश में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी:-
  - क) अभिलेख, क्रियाकलाप, स्थान और व्यक्तियों के आधार पर अन्वेषण की परिधि;
  - ख) अन्वेषक प्राधिकारी की संरचना;
  - ग) अन्वेषण का संचालन करने की समय-सीमा;
  - घ) अन्वेषण में प्रगति की रिपोर्ट देना;
  - ङ) अंतरिम अन्वेषण रिपोर्ट, यदि कोई है, प्रस्तुत करना; और
  - च) अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
- (4) बोर्ड और अन्वेषक प्राधिकारी अन्वेषण को गोपनीय रखने और अन्वेषणाधीन सेवा प्रदाता के कारबार पर कम से कम भार या विध्न कारित करने का प्रत्येक प्रयास करेगा।
- (5) बोर्ड, अन्वेषण की परिधि या अन्वेषण के अन्य निबंधनों का विस्तार करने के लिए उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, उप-विनियम (2) के अधीन निर्दिष्ट आदेश को किसी भी समय उपांतरित कर सकेगा।

# 8. अन्वेषण का संचालन

(1) अन्वेषक प्राधिकारी, सेवा प्रदाता को अन्वेषण के प्रारंभ से कम से कम दस दिन पूर्व एक सूचना की तामील करेगा:

परन्तु जहां अन्वेषक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सूचना से अन्वेषण में असम्यक् विलंब होगा या इस बात की आशंका है कि सूचना की तामील हो जाने के पश्चात् सेवा प्रदाता के अभिलेखों को नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत या गुप्त किया जा सकता है, वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी सूचना को अभिमुक्त कर सकेगा।

- (2) अन्वेषक प्राधिकारी, निरीक्षण के प्रारंभ से पूर्व, सेवा प्रदाता या किसी सहयुक्त व्यक्ति से ऐसे अभिलेख, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
  - (3) अन्वेषक प्रधिकारी, स्थल पर अन्वेषण का संचालन करने के लिए सेवा प्रदाता के कार्यालयों में जा सकेगा।
- (4) ऐसे सेवा प्रदाता और प्रत्येक सहयुक्त व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उतने समय के भीतर, जो अन्वेषक प्राधिकारी अपेक्षा करे, अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण वाले ऐसे अभिलेख अन्वेषक प्राधिकारी को प्रस्तुत करे और अन्वेषक प्रधिकारी को अपने क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे कथन और जानकारी पेश करे।
- (5) सेवा प्रदाता अन्वेषक प्रधिकारी को, ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभुक्त परिसर में संपूर्ण पहुंच अनुज्ञात करेगा और सेवा प्रदाता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे वाले किसी अभिलेख की परीक्षा करने के लिए सुविधा भी प्रदान करेगा और ऐसे अभिलेख या अन्य सामग्री की प्रतियां उपलब्ध करेगा, जो अन्वेषक प्राधिकारी की राय में अन्वेषण के लिए सुसंगत हैं।
- (6) अन्वेषक प्राधिकारी, अन्वेषण के अनुक्रम में, सेवा प्रदाता के कामकाज के संबंध में उसके सहयुक्त व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा या उसके कथन लेखबद्ध कर सकेगा और उस प्रयोजनार्थ उनमें से किसी व्यक्ति से उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (7) उप-विनियम (6) में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षा के टिप्पण लेखबद्ध किए जाएंगे और परीक्षित व्यक्ति को या उसके द्वारा पढ़कर सुनाए जाएंगे और उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे तथा इसके पश्चात् उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाए जा सकेंगे।
- (8) सेवा प्रदाता के प्रत्येक सहयुक्त व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अन्वेषक प्राधिकारी को ऐसी सभी सहायता दे जो अन्वेषक प्राधिकारी अन्वेषण के संबंध में युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे ।
- (9) अन्वेषक प्राधिकारी उसे प्रस्तुत किए गए किसी अभिलेख को छह मास तक अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा और इसके पश्चात् उसे उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से अभिलेख प्रस्तुत किया गया था, वापस करेगा:

परन्तु यदि वह आवश्यक समझता है तो इन अभिलेखों को पुनः मंगा सकेगा, और इनकी प्रमाणित प्रतियां उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ये प्रस्तुत किए गए थे, देगा, यदि उसके द्वारा अपेक्षा की जाती है ।

- (10) जहांअन्वेषण के अनुक्रम में, अन्वेषक प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी सेवा प्रदाता या किसी सहयुक्त व्यक्ति के या उससे संबंधित अभिलेख किसी रीति में नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत या गुप्त किए जा सकते हैं, वहां अन्वेषक प्राधिकारी अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय को ऐसे अभिलेखों के अभिग्रहण के लिए आदेश करने हेतु आवेदन कर सकेगा।
- (11) सक्षम न्यायालय, उप-विनियम (10) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और अन्वेषक प्राधिकारी को सुनने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो, आदेश द्वारा अन्वेषक प्राधिकारी को –
  - (क) ऐसे स्थान या स्थानों में, जहां ऐसे अभिलेख रखे हुए हैं, ऐसी सहायता से, जो आवश्यक हो, प्रवेश करने;
    - (ख) उस स्थान या उन स्थानों की आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में तलाशी लेने; और
- (ग) अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए ऐसे अभिलेख, जो वह आवश्यक समझता है, अभिगृहीत करने; के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

- (12) अन्वेषक प्राधिकारी उप-विनियम (11) के अधीन किए गए आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के लिए अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या दोनों की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करे।
- (13) प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन की जाने वाली तलाशियों या अभिग्रहण से संबंधित उस संहिता के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

# 9. अंतरिम अन्वेषण रिपोर्ट

- (1) अन्वेषक प्राधिकारी, यदि बोर्ड अपेक्षा करें, तो अंतरिम अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
- (2) अन्वेषक प्राधिकारी, यदि वह निरीक्षण की प्रकृति और प्रगति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझता है तो अंतरिम अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) यदि बोर्ड का अंतरिम अन्वेषण रिपोर्ट से यह समाधान हो जाता है कि सेवा प्रदाता की ओर से संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का घोर उल्लंघन किया गया है और धारा 220 की उपधारा (2) के अधीन तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो बोर्ड मामले को समुचित कार्रवाई के लिए अनुशासन समिति को निर्देशित करेगा।
- (4) अनुशासन समिति, अंतरिम अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, सेवा प्रदाता को समुचित निदेश देते हुए अंतरिम आदेश पारित कर सकेगी।
- (5) उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट अंतरिम आदेश 90 दिन के अवसान पर व्यपगत हो जाएगा । 10. अन्वेषण रिपोर्ट
  - (1) अन्वेषक प्राधिकारी प्रारूप अन्वेषण रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को भेजेगा ।
- (2) बोर्ड, अन्वेषण रिपोर्ट की इस संबंध में परीक्षा करेगा कि क्या अन्वेषण संपूर्ण और समाधानप्रद है या अतिरिक्त अन्वेषण अपेक्षित है और प्रारूप अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर अन्वेषक प्राधिकारी को तदनुसार सलाह देगा।
- (3) अन्वेषक प्राधिकारी, बोर्ड की सलाह को ध्यान में रखने के पश्चात् अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

# अध्याय 4

# रिपोर्ट पर विचार करना

# 11. रिपोर्ट पर विचार करना

- (1) बोर्ड विनियम 6 के अधीन प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट या विनियम 10 के अधीन प्राप्त अन्वेषण रिपोर्ट पर तुरंत विचार करेगा।
- (2) यदि बोर्ड की, उप-विनियम (1) के अधीन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, प्रथमदृष्टया यह राय है कि धारा 220 या धारा 236(2) के अधीन कार्रवाइयां करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है तो वह सेवा प्रदाता या किसी सहयुक्त व्यक्ति को विनियम 12 के अनुसार कारण बताओ सूचना जारी करेगा और किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, निरीक्षण या अन्वेषण को बन्द करेगा।

# 12. कारण बताओ सूचना

- (1) कारण बताओ सूचना लिखित में होगी और उसमें -
  - (क) संहिता के उन उपबंधों का, जिनके अधीन वह जारी की गई है;
  - (ख) अभिकथित तथ्यों के ब्यौरों का;
  - (ग) अभिकथित तथ्यों के समर्थन में साक्ष्य के ब्यौरों का;

7

- (घ) अभिकथित रूप से अतिक्रमण किए गए संहिता, नियमों या विनियमों के उन उपबंधों का;
- (ङ) उन कार्रवाइयों या निदेशों का, जिन्हें,यदि अभिकथन सिद्ध कर दिए जाते हैं तो बोर्ड का करने या जारी करने का प्रस्ताव है; और
- (च) उस समय का, जिसके अधीन सूचना प्राप्तकर्ता लिखित निवेदन कर सकेगा; कथन होगा।
- (2) बोर्ड, उप-विनियम (ङ) के प्रयोजनों के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा:
- (क) अभिकथित उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता, जिसमें यह भी है कि क्या वह सूचना प्राप्तकर्ता की ओर से जानबुझकर, बिना सोचे विचारे या उपेक्षापूर्ण था;
  - (ख) अभिकथित उल्लंघन के परिणाम और प्रभाव, जिनमें निम्नलिखित हैं
    - i. अभिकथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप सूचना प्राप्तकर्ता ने अनुचित लाभ उठाया है; और
    - ii. अभिकथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप ग्राहकों या किसी अन्य व्यक्ति को कारित या कारित किए जाने के लिए संभावित हानि; और
    - iii. अभिकथित उल्लंघन होने के पश्चात् और अभिकथित उल्लंघन से पूर्व सूचना प्राप्तकर्ता का आचरण ।
  - (3) कारण बताओ सूचना में सूचना प्राप्तकर्ता को लिखित निवेदन करने के लिए कम से कम 21 दिन दिए जाएंगे।
- (4) कारण बताओं सूचना में इस बात का उल्लेख होगा कि यदि कोई सूचना प्राप्तकर्ता दिए गए समय के भीतर उप-विनियम के अधीन प्रत्युत्तर देने में असफल रहता है तो उसका निपटारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाएगा।
- (5) कारण बताओं सूचना के साथ सुसंगत दस्तावेज़ और अन्वेषण या निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य अभिलेखों में से सुसंगत प्रभागों के उद्दरण संलग्न किए जाएंगे।
  - (6) जारी की गई कारण बताओ सूचना की सूचना प्राप्तकर्ता पर -
    - (क) सूचना प्राप्तकर्ता को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजकर; और
  - (ख) सेवा प्रदाता द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराए गए ईमेल पते पर समुचित इलैक्ट्रानिक रूप में; तामील की जाएगी।
- (7) बोर्ड, कारण बताओ सूचना को समस्त अभिलेखों सहित, जिसके अंतर्गत सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा उस विषय में किए गए लिखित निवेदन भी हैं, अनुशासनिक समिति को निर्देशित करेगा ।

# 13. कारण बताओ सूचना का निपटारा

- (1) अनुशासन समिति, सूचना प्राप्तकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सकारण आदेश द्वारा कारण बताओ सूचना का निपटारा करेगी ।
- (2) अनुशासन समिति कारण बताओ सूचना का निपटारा कारण बताओ सूचना के जारी करने से छह मास की अवधि के भीतर करेगी।
  - (3) उप-विनियम (1) के अधीन आदेश में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा-
    - (क) किसी निदेश के बिना कारण बताओ सूचना को बन्द करना;
    - (ख) चेतावनी;
    - (ग) धारा 220(2) से (4) के अधीन कोई भी कार्रवाई;
    - (घ) बोर्ड को धारा 220(5) या 236(2) के अधीन कोई कार्रवाई करने के लिए निर्देश;

- (ङ) कोई अन्य कार्रवाई या निदेश, जो उपयुक्त समझा जाए ।
- (4) उप-विनियम (1) के अधीन आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन बीत न गए हों और जब तक अनुशासन समिति, आदेश में उसके लिए कारणों सहित, अन्यथा कथन न करे।
- (5) उप-विनियम (1) के अधीन आदेश सूचना प्राप्तकर्ता को तुरंत जारी किया जाएगा और बोर्ड की वैबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा ।
- (6) यदि उप-विनियम (1) के अधीन आदेश से किसी सेवा प्रदाता के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द किया जाता है तो अनुशासन समिति, यदि वह उपयुक्त समझे, सेवा प्रदाता से
  - (क) लंबित बाध्यताओं का, यदि कोई हैं, निर्वहन करने;
  - (ख) ऐसे समय तक, जैसा निदेश दिया जाए, केवल ग्राहकों को किसी अन्य सेवा प्रदाता के पास स्थानांतरित होने में समर्थ बनाने के लिए अपने कृत्य जारी रखने; और
    - (ग) किन्हीं अन्य निदेशों का अनुपालन करने;

की अपेक्षा कर सकेगी।

# अध्याय 5

#### प्रत्यास्थापन

## 14. प्रत्यास्थापन

- (1) जहां कहीं भी धारा 220(4) के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है, वहां बोर्ड रकम को शीघ्र वापस वसूल करने का प्रयास करेगा ।
- (2) बोर्ड, वापस की गई रकम वसूल होने पर यथाशीघ्र सार्वजनिक उद्घोषणा द्वारा उन व्यक्तियों से, जिन्हें उल्लंघन के कारण हानि हुई है, धारा 220(4) के अधीन वापस की गई रकम के प्रत्यास्थापन की ईप्सा का निदेश अंतर्निहित करते हुए दावे आमंत्रित करेगा।
  - (3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति सार्वजनिक उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर प्ररूप 'क' में दावे प्रस्तुत करेंगे।
- (4) बोर्ड दावों की संवीक्षा करेगा और दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 30 दिन के भीतर विधिमान्य दावों की एक सूची तैयार करेगा।
- (5) बोर्ड, विधिमान्य दावों की सूची तैयार होने के 30 दिन के भीतर वापस की गई रकम दावेदारों के बीच अनुपाततः संवितरित करेगा।

प्ररूप क संहिता की धारा 220(4) के अधीन आदेश सं.....तारीख के अधीन दावा [भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के विनियम 14 (3) के अधीन]

क्र. सं.	वर्णन	विशिष्टियां
1	दावेदार का नाम और पता	
2	दावेदार की पहचान	
	क. आधार सं.	
	ख. स्थायी खाता सं.(पैन)	
	ग. बैंक खाता सं., बैंक का नाम और शाखा, जहां धन का प्रेषण किया जाना है	
3	कृपया स्पष्ट करें कि आपको धारा 220(4) के अधीन निदेश के उल्लंघन के कारण धन की हानि	
	कैसे हुई	
4	कृपया आपको हुई हानि की संगणना दर्शाएं	

# सत्यापन और प्रतिज्ञान

मैं यह सत्यापित और प्रतिज्ञान करता हूं कि ऊपर दी गई अंतर्वस्तुएं मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

(दावेदार के हस्ताक्षर)

नोट: यदि दावे की रकम 10,000 रुपए से अधिक है तो, दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए, दावे का सत्यापन और प्रतिज्ञान किसी नोटरी के समक्ष किया जाएगा।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/103/17]

# INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2017

**No. IBBI/2017-18/GN/REG011.**—In exercise of the powers conferred under sections 196, 217, 218, 219, 220 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations, namely-

#### **CHAPTER I**

#### **PRELIMINARY**

# 1. Short title, commencement and application.

- (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall apply to inspection and investigation of service providers.

# 2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires
  - (a) "associated person" means a proprietor, partner, director, officer, or an employee of a service provider, a professional or a valuer engaged by a service provider or any other person acting for or on behalf of a service provider under inspection or investigation;
  - (b) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
  - (c) "Disciplinary Committee" means a committee of whole time member(s) constituted by the Board under sub-section (1) of section 220 of the Code:

Provided that the whole time member(s) in the Disciplinary Committee shall not be associated with the investigation or inspection;

- (d) "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (e) "Investigating Authority" means an officer or a team of officers of the Board, which has been directed by the Board, to conduct the investigation of a service provider;
- (f) "Inspecting Authority" means an officer or a team of officers of the Board, which has been directed by the Board, to conduct the inspection of a service provider;
- (g) "noticee" means a service provider or an associated person who is alleged to have contravened any provision of the Code, or the rules, regulations or guidelines made thereunder;
- (h) "record" means the books of accounts, registers, documents, call records and other records, whether maintained in electronic form or otherwise, of a service provider and its associated person;
- (i) "section" means section of the Code; and

- (j) "service provider" means insolvency professional agency, insolvency professional, insolvency professional entity or information utility.
- (2) The words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Code, shall have the same meaning assigned to them in the Code.

#### CHAPTER II

## **INSPECTION**

# 3. Inspection by the Board.

- (1) The Board shall conduct inspection of such number of service providers every year, as may be decided by the Board from time to time.
- (2) Without prejudice to provisions of sub-regulation (1), the Board may conduct inspection of a service provider under section 218.
- (3) The Board may, for the purposes of this regulation, by an order, direct an Inspecting Authority to conduct an inspection of records of a service provider for purposes specified under sub-regulation (4).
- (4) The purposes under sub-regulation (3) include -
  - (a) to ensure that the records are being maintained by a service provider in the manner required under the relevant regulations;
  - (b) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by a service provider to fulfill its obligations under the relevant regulations;
  - (c) to ascertain whether any circumstance exists which would render a service provider unfit or ineligible;
  - (d) to ascertain whether the provisions of the Code, or the rules, regulations and guidelines made thereunder and the directions issued by the Board, if any, are being complied with;
  - (e) to inquire into the complaints received from clients or any other person on any matter having a bearing on the activities of a service provider; and
  - (f) such other purpose as may be deemed fit by the Board in furtherance of the objectives of the Code.
- (5) The order referred to in sub-regulation (3) shall contain-
  - (a) scope of inspection;
  - (b) composition of Inspecting Authority;
  - (c) timelines for conducting the inspection;
  - (d) reporting of progress in inspection;
  - (e) submission of interim inspection report, if any; and
  - (f) submission of inspection report.
- (6) The Board and the Inspecting Authority shall make every effort to keep the inspection confidential and to cause the least burden on, or disruption to, the business of the service provider under inspection.

# 4. Conduct of Inspection.

(1) The Inspecting Authority shall serve a notice of inspection to the service provider at least 10 days before the commencement of inspection:

Provided that where the Inspecting Authority is satisfied that the notice will cause undue delay in inspection or there is an apprehension that records of the service provider may be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted, after the notice is served, it may, for reasons to be recorded in writing, dispense with such notice.

- (2) The Inspecting Authority may require the service provider or an associated person to submit records, as may be required, before the commencement of inspection.
- (3) The Inspecting Authority may visit the offices of the service provider for conducting the on-site inspection.

- (4) It shall be the duty of the service provider and an associated person to produce before the Inspecting Authority such records in his custody or control and furnish to the Inspecting Authority such statements and information relating to its activities within such time as the Inspecting Authority may require.
- (5) The service provider shall allow the Inspecting Authority to have access to the premises occupied by such service provider or by any other person on its behalf and extend facility for examination of any records in the possession of the service provider or any such other person and provide copies of records or other material which in the opinion of the Inspecting Authority are relevant for the inspection.
- (6) The Inspecting Authority shall, in the course of inspection, may examine and record statements of any associated person of the service provider in relation to the affairs of his business.
- (7) It shall be the duty of the service provider and an associated person to give to the Inspecting Authority all assistance which the Inspecting Authority may reasonably require in connection with the inspection.

#### 5. Interim Inspection Report.

- (1) The Inspecting Authority may submit an interim inspection report to the Board, if it considers appropriate, keeping in view the nature and progress of inspection.
- (2) The Inspecting Authority shall submit an interim inspection report, if required by the Board.
- (3) If the Board is satisfied from the interim inspection report that there is a gross violation of the provisions of the Code, or the rules, regulations made thereunder, by the service provider and an immediate action under subsection (2) of section 220 is warranted, the Board shall refer the matter to the Disciplinary Committee for an appropriate action.
- (4) On consideration of the interim inspection report, the Disciplinary Committee may pass an interim order with appropriate directions to the service provider.
- (5) The interim order referred to sub-regulation (4) shall lapse on expiry of 90 days.

# 6. Inspection Report.

- (1) The Inspecting Authority shall send a copy of the draft inspection report to the service provider requiring comments of the service provider within 15 days from receipt of the draft inspection report.
- (2) The Inspecting Authority shall submit a copy of the draft inspection report to the Board.
- (3) The Board shall examine the draft inspection report as to whether inspection is complete and satisfactory or requires further inspection and advise the Inspecting Authority accordingly within 15 days of receipt of draft inspection report.
- (4) After considering the comments of the service provider and taking into account advice of the Board, the Inspecting Authority shall prepare the inspection report and submit it to the Board.

## **CHAPTER III**

#### INVESTIGATION

#### 7. Investigation by the Board.

- (1) The Board may conduct investigation of a service provider under section 218.
- (2) The Board may, for the purposes of this regulation, by an order, direct an Investigating Authority to conduct an investigation of the affairs of the service provider and to report thereon to the Board.
- (3) The order referred to in sub-regulation (2) shall contain the following particulars: -
  - (a) scope of investigation in terms of records, activities, places, and persons;
  - (b) composition of Investigating Authority;
  - (c) timelines for conducting investigation;
  - (d) reporting of progress in investigation;
  - (e) submission of interim investigation report, if any; and
  - (f) submission of investigation report.
- (4) The Board and the Investigating Authority shall make every effort to keep investigation confidential and to cause the least burden on, or disruption to, the business of the service provider under investigation.

(5) The Board may, at any time, modify the order referred to under sub-regulation (2) to enlarge the scope of investigation or other terms of investigation, for reasons to be recorded in writing.

# 8. Conduct of Investigation.

(1) The Investigating Authority shall serve a notice of investigation to the service provider at least 10 days before the commencement of investigation:

Provided that where the Investigating Authority is satisfied that the notice will cause undue delay in investigation or there is an apprehension that records of the service provider may be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted, after the notice is served, it may, for reasons to be recorded in writing, dispense with such notice.

- (2) The Investigating Authority may require the service provider or an associated person to submit records as may be required, before the commencement of investigation.
- (3) The Investigating Authority may visit the offices of the service provider for conducting the on-site investigation.
- (4) It shall be the duty of the service provider and an associated person to produce before the Investigating Authority such records in his custody or control and furnish to the Investigating Authority such statements and information relating to its activities within such time as the Investigating Authority may require.
- (5) The service provider shall allow the Investigating Authority to have access to the premises occupied by such service provider or by any other person on its behalf and extend facility for examination of any records in the possession of the service provider or any such other person and provide copies of records or other material which in the opinion of the Investigating Authority are relevant for the investigation.
- (6) The Investigating Authority shall, in the course of investigation, may examine and record statements of any associated person of the service provider in relation to the affairs of his business and for that purpose may require any of those persons to appear before it personally.
- (7) Notes of any examination referred to in sub-regulation (6) shall be recorded and shall be read over to, or by, and signed by, the person examined.
- (8) It shall be the duty of the service provider and an associated person to give to the Investigating Authority all assistance which the Investigating Authority may reasonably require in connection with the investigation.
- (9) The Investigating Authority may keep in its custody any record produced to it up to six months and thereafter shall return the same to the person by whom or on whose behalf the records were produced:

Provided that it may call for these records again if it considers necessary and shall give certified copies of these to the person by whom or on whose behalf these were produced, if required by him.

- (10) Where in the course of investigation, the Investigating Authority has reasonable grounds to believe that the records of, or relating to, a service provider or an associated person in any manner, may be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted, the Investigating Authority may make an application to the competent court having jurisdiction for an order for the seizure of such records.
- (11) After considering the application under sub-regulation (10) and hearing the Investigating Authority, if necessary, the competent court may, by order, authorise the Investigating Authority
  - (a) to enter, with such assistance, as may be required, the place or places where such records are kept;
  - (b) to search that place or those places in the manner specified in the order; and
  - (c) to seize records, it considers necessary, for the purposes of the investigation.
- (12) The Investigating Authority may requisition the services of any police officer or any officer of the Central Government, or of both to assist him in search and seizure under the order under sub-regulation (11) and it shall be the duty of every such officer to comply with such requisition.
- (13) Every search or seizure shall be carried out in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to searches or seizures made under that Code.

# 9. Interim Investigation Report.

- (1) The Investigating Authority may submit an interim investigation report to the Board, if it considers appropriate, keeping in view the nature and progress of investigation.
- (2) The Investigating Authority shall submit an interim investigation report, if required by the Board.

- (3) If the Board is satisfied from the interim investigation report that *prima facie*, there is a gross violation of the provisions of the Code, or the rules or regulations made thereunder, by the service provider and an immediate action under sub-section (2) of section 220 is warranted, the Board shall refer the matter to the Disciplinary Committee for an appropriate action.
- (4) On consideration of the interim investigation report, the Disciplinary Committee may pass an interim order with appropriate directions to the service provider.
- (5) The interim order referred to sub-regulation (4) shall lapse on expiry of 90 days.

## 10. Investigation Report.

- (1) The Investigating Authority shall submit a copy of the draft investigation report to the Board.
- (2) The Board shall examine the draft investigation report as to whether investigation is complete and satisfactory or requires further investigation and advise the Investigating Authority accordingly within 15 days of receipt of the draft investigation report.
- (3) After taking into account advice of the Board, the Investigating Authority shall prepare the investigation report and submit it to the Board.

#### **CHAPTER IV**

# CONSIDERATION OF REPORT

#### 11. Consideration of Report.

- (1) The Board shall consider the inspection report received under regulation 6 or investigation report received under regulation 10, as the case may be, expeditiously.
- (2) If the Board, after consideration of the report under sub-regulation (1), is of the *prima facie* opinion that sufficient cause exists to take actions under section 220 or sub-section (2) of section 236, it shall issue a show-cause notice in accordance with regulation 12 to the service provider or an associated person and in any other case, close the inspection or investigation, as the case may be.

## 12. Show-cause notice.

- (1) The show-cause notice shall be in writing and shall state-
  - (a) the provisions of the Code under which it has been issued;
  - (b) the details of the alleged facts;
  - (c) the details of the evidence in support of the alleged facts;
  - (d) the provisions of the Code, or the rules, regulations or guidelines made thereunder, allegedly violated;
  - (e) the actions or directions that the Board proposes to take or issue, if the allegations are established;
  - (f) the time within which the noticee may make written submission.
- (2) For the purposes of clause (e) of sub-regulation (1), the Board shall take into account, but not limited to, the following factors: -
  - (a) the nature and seriousness of the alleged contraventions, including whether it was deliberate, reckless or negligent on the part of the noticee;
  - (b) the consequences and impact of the alleged contravention, including -
    - (i) unfair advantage gained by the noticee as a result of the alleged contravention;
    - (ii) loss caused, or likely to be caused, to clients or any other person as a result of the alleged contravention; and
    - (iii) the conduct of the noticee after the occurrence of the alleged contravention, and prior to the alleged contraventions.
- (3) The show-cause notice shall provide at least 21 days to the notice to make a written submission.
- (4) The show-cause notice shall state, if a notice fails to respond under sub-regulation (3) within the given time, it shall be disposed of based on the material available on record.

- (5) The show-cause notice shall enclose copies of relevant documents and extracts of relevant portions from the report of investigation or inspection, or other records.
- (6) A show-cause notice issued shall be served on the noticee-
  - (a) by sending it to the noticee at its registered office, by registered post with acknowledgement due; and
  - (b) by an appropriate electronic form to the email address provided by the service provider to the Board.
- (7) The Board shall refer the show-cause notice to the Disciplinary Committee alongwith all the relevant records including the written submissions, if any, made by the noticee in the matter.

## 13. Disposal of Show-cause notice.

- (1) The Disciplinary Committee, after providing an opportunity of being heard to the noticee, shall dispose of the show-cause notice by a reasoned order.
- (2) The Disciplinary Committee shall dispose of the show-cause notice within a period of 180 days of the issue of the show-cause notice.
- (3) The order under sub-regulation (1) may provide for-
  - (a) closure of show-cause notice without any direction;
  - (b) warning;
  - (c) any of the actions under sub-sections (2), (3) and (4) of section 220;
  - (d) a reference to the Board to take any action under sub-section (5) of section 220 or sub-section (2) of section 236; or
  - (e) any other action or direction as may be considered appropriate.
- (4) The order under sub-regulation (1) shall not become effective until thirty days have elapsed from the date of issue of the order, unless the Disciplinary Committee states otherwise in the order along with the reasons for the same.
- (5) The order under sub-regulation (1) shall be issued to the noticee immediately, and be published on the website of the Board.
- (6) If the order under sub-regulation (1) suspends or cancels the registration of a service provider, the Disciplinary Committee may, if it considers fit, require the service provider to-
  - (a) discharge pending obligations, if any;
  - (b) continue its functions till such time as may be directed, only to enable clients to shift to another service provider; and
  - (c) comply with any other directions.

## **CHAPTER V**

# RESTITUTION

#### 14. Restitution.

- (1) Where a direction has been issued, to any person to disgorge the amount under sub-section (4) of section 220, the Board shall endeavour to realize the amount of disgorgement expeditiously.
- (2) The Board shall, as soon as after the realization of the amount of disgorgement, invite claims by a public announcement from persons, who have suffered loss on account of the contravention underlying the direction under sub-section (4) of section 220, seeking restitution from the disgorged amount.
- (3) The persons referred to in sub-regulation (2) shall submit claims in Form A within 30 days of the public announcement.
- (4) The Board shall scrutinise the claims and prepare a list of valid claims within 30 days of the last date for receipt of claims.
- (5) The Board shall disburse such amount proportionately among the claimants within 30 days of preparation of the list of valid claims.

#### FORM A

(Under Regulation 14(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017)

Claim under Order No... dated ...... under section 220(4) of the Code

Sl. No.	Description	Particulars
1.	Name and Address of the Claimant	
2.	Identity of the Claimant	
	(a) Aadhaar No.	
	(b) PAN	
	(c) Bank account no, name of the bank, branch to which money is to be remitted and IFSC code	
3.	Please explain how you have lost money on account of contravention as mentioned under section 220(4)	
4.	Please show computation of loss suffered by you	

## Verification

I hereby verify and affirm that the contents as stated above are true and correct to the best of my knowledge and belief and no material fact has been concealed.

(Signature of the Claimant)

Note: If the amount of claim exceeds Rs. 10,000, this verification shall be done before a Notary for the purpose of submission of claim.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./103/17]